तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज अपील संख्या 97/2025(जी.सी.एम.एस. नंबर 2025/399) बअनवान श्रीराम बनाम वीरमाराम इत्यादि	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए

न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी बाड़मेर

पीठासीन अधिकारी ओमप्रकाश विश्नोई आर ए एस

(प्रथम लिंक अधिकारी)

श्रीराम

बनाम

वीरमाराम इत्यादि

उपस्थिति

1. श्री मोहनलाल विश्नोई, अधिवक्ता अपीलांट
2. श्री सुखदेव जाखड़, अधिवक्ता, अधिवक्ता रेस्पो. संख्या 1 व 2

आदेश

दिनांक 14 जनवरी 2026

अपीलाट ने हस्तगत अपील राजस्थान काश्तकारी अधिनियम की धारा 225 के तहत सहायक कलक्टर धोरीमन्ना द्वारा राजस्व प्रार्थना पत्र संख्या 133/2025 अनवान वीरमाराम व अन्य बनाम श्रीराम इत्यादि में पारित आदेश दिनाक 11 जुलाई 2025 के विरूद्ध अदालत हाजा के समक्ष दिनांक 17 जुलाई 2025 को प्रस्तुत की गई।

बहस सुनी गई। अधिवक्ता अपीलांट ने बहस करते हुए कथन किया कि अधीनस्थ न्यायालय में उत्तरदाता संख्या 1 व 2 द्वारा धारा 251 क राजस्थान काश्तकारी अधिनियम का आवेदन पत्र प्रस्तुत कर विप्रार्थीगण/अपीलकर्ता के खेत से रास्ते की मांग की गई है तथा साथ में धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के तहत आवेदन प्रस्तुत कर अपीलाकर्ता की भूमि के संबंध में मौके एवं राजस्व रेकर्ड की यथास्थिति का एकपक्षीय आदेश प्राप्त कर लिया। रेस्पोडेंट्स द्वारा अपने आवेदन में उत्तरदाता संख्या 2 को न तो प्रार्थी बनाया गया और न ही विप्रार्थी बनाया गया है, उसके बावजूद भी अधीनस्थ न्यायालय द्वारा इस पर गौर किये बिना अपीलाधीन आदेश पारित किया गया है। उत्तरदाता संख्या 1 व 2 की भूमि के सेढे पर गोचर भूमि खसरा नम्बर 265/184 है तथा खसरा नम्बर 159, जो कटान मार्ग है वो खसरा नम्बर 158 के खेत से होकर गोचर भूमि खसरा नम्बर 265/184 तक आता है, जिसमें ही उतरदातागण आम रास्ते के रूप में उपयोग करते आ रहे है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा उत्तरदातागण के आवेदन पत्र पर गलत तथ्यों के आधार पर स्थगन आदेश जारी करने में कानूनन व इंसाफन भूल की गई है। अपीलकर्ता के द्वारा पूर्व में श्रीमान सहायक कलेकटर एवं उपखण्ड अधिकारी घोरीमन्ना के समक्ष अपने खेत खसरा नम्बर 157 का बंटवाडा करने का वाद पत्र प्रस्तुत किया था, जिसमें दिनांक 13.05.2025 को खसरा नम्बर 157 पर रेकर्ड व मौके के बाबत् स्थगन आदेश जारी हो रखा था जो वर्तमान में विचाराधीन है, लेकिन उक्त प्रकरण में अपीलकर्ता द्वारा अपने खेत खसरा नम्बर 157 में से कुछ भूमि आबादी भूमि में सम्परिवर्तित करने हेतु दिनांक 13.05.2025 को स्थगन आवेदन पत्र में छूट के लिए आवेदन पत्र प्रस्तुत किया, तब न्यायालय द्वारा दिनांक 20.06.2025 को खेत खसरा नम्बर 157 में संलग्न नजरी नक्शा अनुसार भूमि को कृषि भूमि से अकृषि कार्य हेतु सम्परिवर्तित करने हेतु आदेश दिये गये थे, उसी आदेश की पालना में अपीलकर्ता द्वारा खेत खसरा नम्बर 157 में सम्परिवर्तित करने के लिए आवेदन कर जांच रिपोर्ट एवं टी.

राजस्व अपील प्राधिकारी
बाड़मेर

आर.ए. रिपोर्ट सहित समस्त कार्यवाही पूर्ण कर दी गई थी। उक्त तथ्य की जानकारी उत्तरदाता संख्या 1 को मिलने पर उनके द्वारा अधीनस्थ न्यायालय में आवेदन पत्र प्रस्तुत कर एकपक्षीय स्थगन आदेश प्राप्त किया गया है जो आदेश विधि विरूद्ध होने से निरस्त किये जाने योग्य है। यह उल्लेखनीय है कि श्रीमान उपखण्ड अधिकारी धोरीमन्ना के समक्ष एक राजस्व आवेदन संख्या 102/25 बअनवान सुजानाराम बनाम श्रीराम अन्तर्गत धारा 251 क के तहत उत्तरदाता संख्या 1 व 2 के खेत खसरा नम्बर 156 व गोचर भूमि खसरा नम्बर 265/184 व अपीलकर्ता के खेत में से रास्ता मांगा गया था, जिसमें उत्तरदाता संख्या 1 व 2 न्यायालय में उपस्थित नहीं हुए और न ही कोई आपति प्रस्तुत की गई है। उसमे मौका रिपोर्ट आ चुकी है, जिसमे दो विकल्प बताये गये है एवं गोचर भूमि में ही आवागमन हेतु उचित एवं सद्भाविक रास्ता बताया गया है। उक्त आवेदन पत्र उतरदाता संख्या 1 व 2 से पूर्व में ही प्रस्तुत किया गया था। यदि वास्तव में उत्तरदाता संख्या 1 व 2 को रास्ते की आवश्यकता होती तो उसमें पक्षकार बनकर अपना पक्ष रख सकते थे, लेकिन उसने मात्र अपीलकर्ता को नुकसान कारित करने के आशय से ही आवेदन पत्र प्रस्तुत किया है। उत्तरदाता संख्या 1 व 2 द्वारा जो आवेदन पत्र अन्तर्गत धारा 251 क राजस्थान काश्तकारी अधिनिमय का प्रस्तुत किया गया है, उस आवेदन पत्र के साथ धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम का आवेदन पत्र प्रस्तुत किया गया है जो धारा 251 क के साथ विचाराधीन नहीं होता है, लेकिन उसके बावजूद अधीनस्थ न्यायालय द्वारा उस पर सुनवाई करते हुए एकतरफा आदेश पारित करने में कानूनन व इंसाफन भूल की है। अपीलकर्ता विवादित भूमि के खातेदार होने से प्रथम दृष्टया मामला, सुविधा का संतुलन व अपूरणीय क्षति क बिंदु अपीलांट्स के पक्ष में है। ऐसी स्थिति में अपीलाधीन आदेश विधिक प्रावधानों एवं प्राकृतिक न्याय के मूलभूत सिद्धांतों के विपरीत होने से अपास्त योग्य है।

अंत में अपीलांट के अधिवक्ता ने निवेदन किया कि अपील अपीलांट्स स्वीकार फरमायी जावे एवं अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित अपीलाधीन आदेश दिनांक 11 जुलाई 2025 को अपास्त किया जावे। वकील अपीलांट द्वारा अपनी बहस के समर्थन में माननीय राजस्व मण्डल की एकलपीठ द्वारा निगरानी संख्या 3201/2024 अनवान किस्तुरीदेवी बनाम रामकली में पारित आदेश दिनांक 01.10.2024 की प्रति पेश की।

जवाब में रेस्पो. के अधिवक्ता ने अपनी बहस में निवेदन किया कि रेस्पोडेंट्स द्वारा विचारण न्यायालय में धारा 251–क का प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किये जाने की सूचना अपीलांट्स को मिलने पर उनके द्वारा दुरभिसंधी कर विचारण न्यायालय के समक्ष बंटवाड़े का वाद प्रस्तुत कर स्थगन आदेश प्राप्त कर लिया तथा बाद में रेस्पोडेंट्स द्वारा चाहे गये रास्ते के स्थान पर भूमि की किस्म परिवर्तित करवाकर मौके पर निर्माण कार्य करने पर आमादा है, जिससे रेस्पोडेंट्स का प्रार्थना पत्र निष्फल हो जाये एवं उन्हें रास्ता देना नहीं पड़े। विचारण न्यायालय द्वारा रेस्पोडेंट्स की ओर से प्रस्तुत प्रार्थना पत्र के विचाराधीन रहते वांछित रास्ते की भूमि सुरक्षित रहे, इस बाबत उक्त भूमि को संरक्षित रखने के लिए विधिसम्मत आदेश पारित किया है। यह उल्लेखनीय है कि अपीलांट्स द्वारा हस्तगत अपील अंतरिम आदेश के विरूद्ध प्रस्तुत की गई है जो पोषणीय नहीं है। ऐसी स्थिति में अपीलांट द्वारा प्रस्तुत अपील सारहीन एवं पोषणीय नहीं होने से खारिज फरमाया जावे।

बहस पर मनन किया गया। पत्रावली पर उपलब्ध अभिलेख का

राजस्व अपील प्राधिकारी
बाड़मेर

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज अपील संख्या 97/2025(जी.सी.एम.एस. नंबर 2025/399) बअनवान श्रीराम बनाम वीरमाराम इत्यादि	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए

आद्योपांत अवलोकन किया गया। उपलब्ध अभिलेख के अवलोकन मुताबिक रेस्पोडेंट संख्या एक द्वारा अपनी खातेदारी भूमि खसरा नंबर 156 रकबा 5.8760 हैक्टेयर ग्राम जम्भेश्वर नगर तहसील धोरीमना में आवागमन हेतु अपीलांट एवं अन्य रेस्पो. की भूमि खसरा नंबर 157 रकबा 13.4032 हैक्टेयर में से रास्ता चाहा गया है तथा रास्ते के आवेदन के विचाराधीन रहते रास्ते की संभावित भूमि पर किसी प्रकार का निर्माण एवं राजस्व रेकर्ड में परिवर्तन न हो, इसलिए धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के तहत आवेदन प्रस्तुत कर अपीलाधीन आदेश पारित करवाया जाना प्रकट होता है। विचारण न्यायालय द्वारा आवेदन के विचाराधीन रहते संभावित रास्ते की भूमि को संरक्षित रखने के लिए विधिसम्मत आदेश पारित किया जाना प्रकट होता हैं। यह उल्लेखनीय है कि अपीलांट की ओर से विचारण न्यायालय के समक्ष किसी प्रकार की चाराजोही किये बिना सीधे ही हस्तगत अपील प्रस्तुत की गई है। अपीलांट के पास विचारण न्यायालय के समक्ष चाराजोही कर वांछित अनुतोष प्राप्ति का समुचित अवसर प्राप्त है। ऐसी स्थिति में अपीलाधीन आदेश में इस स्तर पर किसी प्रकार का हस्तक्षेप किया जाना उचित नहीं है।

यह उल्लेखनीय है कि अपीलांट द्वारा हस्तगत अपील अंतरिम आदेश के विरूद्ध प्रस्तुत की गई। विचारण न्यायालय में प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम का अंतिम निस्तारण होना है। ऐसी स्थिति में मामला निर्देशों के साथ प्रतिप्रेषित किया जाना न्यायोचित रहेगा।

उपरोक्त विवेचन एवं विश्लेषण के आधार पर अपील अपीलांट खारिज की जाती है एवं अधीनस्थ न्यायालय को निर्देश दिये जाते है कि वह उभय पक्ष को सुनवाई का समुचित अवसर प्रदान कर एक माह की अवधि में प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम का विधिसम्मत निस्तारण करे।

आदेश सरे ईजलास सुनाया गया।

(ओमप्रकाश विश्नोई)
प्रथम वित्त अधिकारी
राजस्व अपील प्राधिकारी
जोधपुर